

क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 14)/2025/ई-12004

Corrigendum 03

01. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.07.2025 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के शेड्यूल-II में रॉयल्टी दरों में हुये संशोधन के क्रम में निदेशालय विज्ञप्ति क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 14)/2025/ई-12004 दिनांक: 18.07.2025 में सम्मिलित ठेकों की आरक्षित राशि में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

विज्ञप्ति में क्र.सं.	कार्यालय का नाम एवं ठेका कोड	विज्ञप्ति दिनांक 18.07.2025 में आरक्षित राशि	अधिसूचना दिनांक 23.07.2025 की पालना में नवीन आरक्षित राशि
25	खनि अभियन्ता, सिरोही (कोड 69)	25656570	33358219
26	खनि अभियन्ता, बासंवाड़ा (कोड 204)	350045000	492843000
28	खनि अभियन्ता, जोधपुर (कोड 80)	1600339	2268178
32	खनि अभियन्ता, जोधपुर (कोड 81)	2481360	3101701
33	सहायक खनि अभियन्ता, बालेसर (कोड 83)	18226677	23247852
34	खनि अभियन्ता, जोधपुर (कोड 107)	3592600	4120334
35	सहायक खनि अभियन्ता, चुरु (कोड 36)	67260591	87679874
36	खनि अभियन्ता, जैसलमेर (कोड 106)	51530787	47999627
43	खनि अभियन्ता, करौली (कोड 24)	16324650	21436835
48	खनि अभियन्ता, कोटा	17738960	23235861



	(कोड 88)		
49	खनि अभियन्ता, बाड़मेर (कोड 85)	79588200	104081953

- 02.** विज्ञप्ति के क्रम संख्या 29 पर अंकित खनि अभियन्ता, राजसमन्द-II क्षेत्राधिकार का ठेका(ठेका कोड 192) के कॉलम संख्या 4 "ठेका क्षेत्र का विवरण " जिला राजसमंद में कार्यालय खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड द्वितीय के क्षेत्राधिकार की तहसील राजसमंद, नाथद्वारा, खमनोर, देलवाडा एवं रेलमगरा की राजस्व सीमा में खनिज केलसाईट, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिकासेंड एवं पायरोफिलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज केलसाईट, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिकासेंड एवं पायरोफिलाईट" संशोधित किया जाता है।

(दीपक तँवर)
निदेशक

क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 14)/2025/ई-12004

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सहायक महाप्रबंधक, बी.ए.बी. मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को भेजकर लेख है कि तत्काल वेबसाईट पर प्रकाशन करा सभी भाग लेने वाले बोलीदाताओं को अपने स्तर से तत्काल सूचित करावें।
2. नोडल अधिकारी, डी.एम.जी.ओ.एम.एस., के.का., उदयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
3. समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन।
4. समस्त अधीक्षण खनि अभियन्ता, वृत्त।
5. समस्त खनि अभियन्ता।
6. समस्त सहायक खनि अभियन्ता।

निदेशक